

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) विभिन्न विषय एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.NO.	NAME	EMPLOYEE ID	SUB	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRANSFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/ DA APPLICABLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PINKY KUMARI	RJAL20110 2008690	HINDI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UNTRA (214280)	AJMER	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BANIPARK (218934)	JAIPUR	NO
2	GURISH VASU	RJJS199520 010903	HISTORY	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DAMODRA (220532)	JAISALMER	Office of the District Institute for Education and Training, District- JAISALMER	JAISALMER	NO
3	SAROJ KUMARI JAT	RJJP201718 010498	Physics	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOOTEDA (218441)	JAIPUR	SHRI HANSHRAJ GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADHAL (218504)	JAIPUR	NO
4	VIKRAM SINGH YADAV	RJAL20050 2019687	Physics	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL JHIWANA (215073)	ALWAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOHRANA (216174)	ALWAR	NO
5	NARAYAN SINGH MINA	RJDH2010 14006431	SANSKRIT	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ROOPASPUR (217553)	DHAULPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RUNDH KA PURA (226874)	DHAULPUR	NO
6	OM PRAKASH DHAKA	RJPG2018 30018939	SANSKRIT	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DEVDAWAS (222133)	TONK	SHRI TULSIRAM RAMNARAYAN GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHOBHASAR (215432)	CHURU	NO

- संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- जिन व्याख्याताओं का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 'क' के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश को क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य को संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

ga
(गौरी अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/सी-8/विविध/स्थानान्तरण-पदस्थापन/2022

दिनांक - 12/01/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण तत्काल अपडेट करावें।
- संबंधित व्याख्याता।
- रक्षित पत्रावली।

Ban

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर